

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029
HOSPITAL STORES**

Dated: 16.09.2026

NOTICE OF DEBARMENT

F.No. 02/H/Debar/Linen/2026-27 (GEMC-511687716839518 & GEMC-511687779904826)

To,
M/s S.K. Meditex Enterprises,
Ground Floor Extn., Plot No-35A,
KH No. 52/27 & 53/31, Badli,
North West Delhi, Delhi-110042
E-mail: skmeditexenterprises@gmail.com

Subject: GeM Contract No. GEMC-511687716839518 and GEMC-511687779904826 in favor of M/s S.K. Meditex Enterprises for the procurement of Stitched Bed Sheet and Draw Sheets to AIIMS, New Delhi – Termination of contract and debarment for two years from participating in tenders thereof.

References:

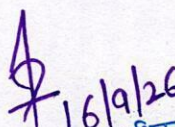
1. GeM Contract No. GEMC-511687716839518 and GEMC-511687779904826.
2. Mail confirming the fake Test Report by Ministry of Textiles.
3. Show Cause Notice dated 05.08.2026.
4. Reply of M/s S.K. Meditex dated 12.08.2026.

A complaint was received regarding the procurement and supply of substandard, non-conforming Bed Sheets & Draw Sheets, submission of fake test reports by the vendor, procedural irregularities in procurement, suspected financial irregularities, and seeking action against M/s S.K. Meditex Enterprises.

In this regard, an inquiry committee was constituted by the Competent Authority for investigation of the matter.

Whereas, the test report submitted by the vendor at the time of bid submission was forwarded for verification of its authenticity to the Regional Laboratory, Textile Committee, Kanpur. In response, the Regional Laboratory, Textile Committee, Kanpur informed that, "after a thorough review of our records, the Laboratory section has confirmed that no sample under Sample No. (CCQ-2052) was ever received by this office for testing. Consequently, the Test Report (No. TC/LKA/ST/2060/24-25 dated 19.09.2024) is not authentic and was not issued by the Regional Laboratory, Textile Committee, Kanpur."

Page 1 of 3


वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (अस्पताल)
Senior Store Officer (Hospital)
अ.भा.आ.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29



(हस्ताक्षर) प्रिन्टिंग मशीन
(Signature) Printing Machine
अ.भा.आ.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29

Whereas, the Regional Laboratory, Textile Committee, Kanpur has categorically confirmed that the **Test Report submitted by the bidder was not issued by their laboratory and is not authentic**. Submission of a forged/fake document during bid evaluation is a serious violation of tender conditions and attracts administrative action including reporting the incident on GeM, forfeiture of Performance Bank Guarantee, debarment/blacklisting, and any other action as per applicable rules. Necessary action may therefore be initiated separately against the firm.

Whereas, a Show Cause Notice dated 05.08.2026 was issued to the firm regarding the alleged forged/fake report, with instructions to reply within seven days from the date of issue of the Notice and in case of failure to provide a satisfactory explanation within the stipulated time, appropriate administrative action shall be initiated including termination of the contract and forfeiture of PBG submitted by the firm.

Whereas, the firm replied vide letter dated 12.08.2026 intimating that they admit that the bid test report (TC/LKA/ST/2060/24-25 dated 19.09.2024) was found to be unauthentic after verification by the Regional Laboratory, Textile Committee, Kanpur. The firm claimed that they acted in good faith and were cheated by an external agent, whom they paid to arrange lab testing.

Whereas, the firm claimed that they only discovered the forgery upon receiving the show cause notice and have since filed a criminal complaint against him. The firm also emphasized that all previously supplied consignments met standard quality specifications without prior complaints.

Whereas, the Competent Authority found the reply of the firm as unsatisfactory and further concluded that the firm had committed a serious breach of the contractual terms by submitting fake/false documents. Accordingly, the competent authority decided to initiate appropriate action including debarment proceedings against the firm as per applicable rules and contract conditions including:

- 1) Termination of the existing contract due to submission of fake documents.
- 2) Forfeiture of the Performance Bank Guarantee (PBG) submitted by the Firm.
- 3) Debarment of M/s S.K. Meditex Enterprises from participating in AIIMS tenders and contracts for 02 years.

As per GFR 151 (iii): "A procuring entity may debar a bidder or any of its successors, from participating in any procurement process undertaken by it, for a period not exceeding two years, if it determines that the bidder has breached the code of integrity."

As per GFR 175 (1)(i)(h) Code of Integrity: No official of a procuring entity or a bidder shall act in contravention of the codes which includes prohibition of making false declaration or providing false information for participation in a tender process or to secure a contract.

As per provisions of the contract directed to invoke Clause 21 (Grounds for Administrative Action) of General Terms & Conditions of GeM Contract.

16/9/26
वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (अस्पताल)
Senior Store Officer (Hospital)
अ.भा.आ.सं. अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29

In view of the above and under the applicable rules and guidelines, the competent authority has therefore decided to initiate the following actions with immediate effect from the issue of this order:

- 1) **Termination** of the GeM contract no. **GEMC-511687716839518** and **GEMC-511687779904826** with immediate effect.
- 2) **The Performance Bank Guarantee (PBG)** submitted by M/s S.K. Meditex Enterprises in the form of FD A/C No. 21360300049073 for an amount of Rs. 3,03,750/- issued by Bank of Baroda valid up to 07.09.2027 and FD A/C No. 21360300049072 for an amount of Rs. 37,350/- issued by Bank of Baroda valid up to 07.09.2027 submitted stands forfeited.
- 3) **An incident to be raised on the GeM Portal against M/s S.K. Meditex Enterprises.**
- 4) The firm M/s S.K. Meditex Enterprises stands debarred for 02 years from participating in any AIIMS, New Delhi tenders with immediate effect.

This is issued with approval of the competent authority.

16/9/26

Sr. Stores Officer (H)
On behalf of the Director
AIIMS, New Delhi-110029

Distribution:

1. PPS to Director, AIIMS
2. PS to Additional Director (Administration)
3. PS to Medical Superintendent, AIIMS
4. Chief of all Centres
5. Sr. Financial Advisor
6. Addl. MS of all Centres/Blocks
7. PIC/OIC Procurement
8. All Stores/Asst. Stores Officers
9. PIC CF, with request to upload on AIIMS website



वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (अस्पताल)
Senior Store Officer (Hospital)
अ.भा.आ.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029

(अस्पताल भंडार विभाग)

प्रतिबंध सूचना

दिनांक: 16.09.2026

फाइल संख्या: 02/H/Debar/Linen/2026-27

(GeM अनुबंध संख्या GEMC-511687716839518 एवं GEMC-511687779904826)

मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज,
ग्राउंड फ्लोर एक्सटेंशन, प्लॉट संख्या 35A,
KH No. 52/27 एवं 53/31, बादली,
उत्तर-पश्चिम दिल्ली - 110042
ई-मेल: skmeditexenterprises@gmail.com

विषय: GeM अनुबंध संख्या GEMC-511687716839518 एवं GEMC-511687779904826 के अंतर्गत AIIMS, नई दिल्ली हेतु सिले हुए बेड शीट एवं ड्रॉ शीट की खरीद के संबंध में अनुबंध समाप्त करने तथा दो वर्ष के लिए निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने बाबत।

संदर्भ:

1. GeM अनुबंध संख्या GEMC-511687716839518 एवं GEMC-511687779904826।
2. वस्त्र समिति द्वारा फर्जी परीक्षण रिपोर्ट की पुष्टि संबंधी ई-मेल।
3. दिनांक 05.08.2026 का कारण बताओ नोटिस।
4. एस एस.के. मेडिटेक्स का दिनांक 12.08.2026 का उत्तर।

एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें निम्न गुणवत्ता, विनिर्देशों के अनुरूप न होने वाले बेड शीट एवं ड्रॉ शीट की खरीद एवं आपूर्ति, विक्रेता द्वारा फर्जी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने, खरीद प्रक्रिया में प्रक्रियागत अनियमितताओं, संभावित वित्तीय अनियमितताओं तथा मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी।

इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच हेतु एक जांच समिति गठित की गई।

विक्रेता द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय जमा की गई परीक्षण रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु इसे क्षेत्रीय प्रयोगशाला, टेक्सटाइल कमेटी, कानपुर को भेजा गया। इसके उत्तर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला, टेक्सटाइल कमेटी, कानपुर ने सूचित किया कि:

"हमारे अभिलेखों की विस्तृत जांच के उपरांत प्रयोगशाला अनुभाग ने पुष्टि की है कि नमूना संख्या (CCQ-2052) के अंतर्गत इस कार्यालय को परीक्षण हेतु कोई नमूना कभी प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, परीक्षण रिपोर्ट संख्या TC/LKA/ST/2060/24-25 दिनांक 19.09.2024 प्रामाणिक नहीं है तथा इसे क्षेत्रीय प्रयोगशाला, टेक्सटाइल कमेटी, कानपुर द्वारा जारी नहीं किया गया है।"

चूँकि, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कपड़ा समिति, कानपुर ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत टेस्ट रिपोर्ट उनकी प्रयोगशाला द्वारा जारी नहीं की गई थी और यह प्रामाणिक नहीं है। बोली मूल्यांकन के दौरान जाली/फर्जी दस्तावेज जमा करना निविदा शर्तों का एक गंभीर उल्लंघन है और इसके तहत GeM पर इस घटना की रिपोर्ट करना, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) की ज़बती, डिबारमेंट/ब्लैकलिस्टिंग और लागू नियमों के अनुसार अन्य कार्रवाई सहित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। इसलिए फर्म के खिलाफ अलग से आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

चूँकि, कथित जाली/फर्जी रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को फर्म को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे और निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रहने पर अनुबंध की समाप्ति और फर्म द्वारा जमा की गई PBG की ज़बती सहित उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

चूँकि, फर्म ने दिनांक 12.08.2026 के पत्र के माध्यम से उत्तर देते हुए सूचित किया कि वे स्वीकार करते हैं कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कपड़ा समिति, कानपुर द्वारा सत्यापन के बाद बोली टेस्ट रिपोर्ट (TC/LKA/ST/2060/24-25 दिनांक 19.09.2024) अप्रामाणिक पाई गई थी।

फर्म ने दावा किया कि उन्होंने सदभावना से काम किया था और एक बाहरी एजेंट द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसे उन्होंने लैब टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए भुगतान किया था।

चूंकि, फर्म ने दावा किया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस मिलने पर ही इस जालसाजी का पता चला और तब से उन्होंने उसके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। फर्म ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले आपूर्ति की गई सभी खपें बिना किसी पूर्व शिकायत के मानक गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती थीं।

चूंकि, सक्षम प्राधिकारी ने फर्म के जवाब को असंतोषजनक पाया और निष्कर्ष निकाला कि फर्म ने नकली/गलत दस्तावेज जमा करके अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने लागू नियमों और अनुबंध शर्तों के अनुसार फर्म के खिलाफ डिबारमेंट कार्यवाही सहित उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें शामिल हैं:

1. फर्जी दस्तावेज जमा करने के कारण मौजूदा अनुबंध की समाप्ति।
2. फर्म द्वारा जमा की गई परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) की जब्त।
3. मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज को 02 वर्षों के लिए एम्स के निविदाओं और अनुबंधों में भाग लेने से प्रतिबंधित करना।

GFR 151 (iii) के अनुसार: "एक खरीद इकाई किसी बोलीदाता या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को अपने द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए डिबार (प्रतिबंधित) कर सकती है, यदि वह यह निर्धारित करती है कि बोलीदाता ने अखंडता संहिता (Code of Integrity) का उल्लंघन किया है।"

GFR 175 (1)(i)(h) अखंडता संहिता के अनुसार: किसी भी खरीद इकाई का कोई भी अधिकारी या बोलीदाता नियमों के उल्लंघन में कार्य नहीं करेगा, जिसमें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करने या झूठी जानकारी प्रदान करने का निषेध शामिल है।

GeM अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 21 (प्रशासनिक कार्रवाई के आधार) को लागू करने के लिए निर्देशित अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा लागू नियमों और दिशानिर्देशों के तहत, सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) ने इस आदेश के जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है:

1. GeM अनुबंध संख्या GEMC-511687716839518 और GEMC-511687779904826 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।
2. मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी FD खाता संख्या 21360300049073 (राशि रु. 3,03,750/-, वैधता 07.09.2027 तक) तथा FD खाता संख्या 21360300049072 (राशि रु. 37,350/-, वैधता 07.09.2027 तक) के रूप में जमा की गई परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) को जब्त किया जाता है।
3. GeM पोर्टल पर मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज के खिलाफ एक इंसीडेंट (शिकायत/मामला) दर्ज किया जाए।
4. फर्म मैसर्स एस.के. मेडिटेक्स एंटरप्राइजेज को तत्काल प्रभाव से 02 वर्षों के लिए एम्स (AIIMS), नई दिल्ली की किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अ.शर्मा
16/9/26
वरिष्ठ भंडार अधिकारी (अस्पताल)

वितरण:

PPS, निदेशक, एम्स

1. PS, अपर निदेशक (प्रशासन)
2. PS, चिकित्सा अधीक्षक, एम्स
3. सभी केंद्रों के प्रमुख (Chief of all Centres)
4. वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार (Sr. Financial Advisor)
5. सभी केंद्रों/ब्लॉकों के अपर चिकित्सा अधीक्षक (Addl. MS)
6. PIC/OIC खरीद (Procurement)
7. सभी स्टोर/सहायक भंडार अधिकारी
8. PIC CF, एम्स वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ